न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 74 / 2022

1- श्रीमती सुभ्रदा देवी, उम्र लगभग 71 वर्ष पत्नी स्व0 श्री ब्रजलाल जाति कोली, निवासी गली नं0 01, इटो के भट्टे के पास, शक्ति नगर आम का तालाब अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री राजेन्द्र पुत्र स्व0 श्री ब्रजलाल उम्र करीब 35 वर्ष
2. श्रीमती आरती पत्नी राजेन्द्र उम्र करीब 32 वर्ष जाति कोली निवासी गली नं0 01, ईटो के भट्टे के पास, शक्ति नगर आम का तालाब, अजमेर .....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 16.11..2022 अधिनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 18.04.2023

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी 71 वर्षीय वृद्ध वरिष्ठ नागरिक, है। अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2021 को जिला कलक्टर अजमेर के जनसुनवाई अजमेर के समक्ष वास्ते वृद्ध प्रार्थीया को पुत्र राजेन्द्र व पुत्रवधू आरती के अत्याचारो से मुक्ति दिलाने व प्रार्थीया की सम्पत्ति/मकान को खाली करवाने बाबत प्रस्तुत किया था । जिसमें भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रकरण को दर्ज किये जाने के आदेश दिये उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था । जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार ने अपना जवाब पेश किया । तत्पश्चात आदेश पारित किए गए । उक्त आदेश के बाद कुछ समय तक तो रेस्पोडेन्ट द्वारा शांति बनाये रखी । किन्तु कुछ समय बाद रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया से उसका मकान अपने नाम करवाने के लिए अपीलार्थी को पुनः परेशान करना व लडाई झगडा करना प्रारम्भ कर दिया गया । जिस पर अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व दिनांक 11.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र पुलिस थाना अलवरगेट के समक्ष वृद्व प्रार्थीया को पुत्र राजेन्द्र व पुत्रवधू आरती के अत्याचारो से मुक्ति दिलाने व प्रार्थीया की सम्पत्ति/मकान को खाली करवाने बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर पुलिस थाना अलवरगेट द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई और ना ही अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया । मजबूर होकर अपीलार्थी ने दिनांक 13.09.2022 को पुलिस अधीक्षक अजमेर के यहां पर अपने बडे पुत्र संतोश कुमार को साथ ले जाकर एक प्रार्थना वृद्ध प्रार्थीया को पुत्र राजेन्द्र व पुत्रवधू आरती के अत्याचारो से मुक्ति दिलाने व प्रार्थीया की सम्पत्ति/मकान को खाली करवाने बाबत प्रस्तुत किया । जिस पर पुलिस थाना अलवरगेट द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई और ना ही अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया । पुलिस वो द्वारा अपीलार्थी के उक्त आवेदनो पर कोई कार्यवाही नही की गई तो अपीलार्थी ने मजबूर होकर एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष भरण पोषण राशि

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

दिलाने व प्रार्थीया का मकान खाली करवाने बाबत प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 16.11.2022 को अप्रार्थीगण को निर्णय की पालना हेतु पाबन्द किया गया । दिनांक 06.01.2022 को पारित किये गये आदेश मे अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को केवल मात्र शाति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाकर छोड दिया गया । उक्त आदेश होने के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी से उसके मकान को अपने नाम पर करवाये जाने के लिए आये दिन झगडे आदि किये जाते रहे । इतना ही नही अपीलार्थी/प्रार्थीया को प्राप्त होने वाले राशन के गेहू ले लिये जाते, और अपीलार्थी को समय पर खाना तक बना कर नही दिया जाता है। अप्रार्थीगण ने अपीलार्थी/प्रार्थीया व प्रार्थीया के बडे पुत्र संतोष कुमार उर्फ कमल के विरूद्व पुलिस थाना महिला अजमेर में दहेज प्रताडना की एक झूंठी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थीगण ने अपनी पुत्र संजना से पुलिस थानाधिकारी के समक्ष झूंठे बयान दिलवाये जाकर प्रार्थीया के बडे पुत्र संतोष कुमार उर्फ कमल पर पोक्सो एक्ट के तहत नग्न होकर घूमने व अश्लीलता करने के आरोप लगाये जिस कारण उसे पुलिस थाना महिला अजमेर द्वारा गिरफतार किया गया और उसे दिनांक 29.11.2022 को न्यायालय में पेश किया जहॉ जमानत पर रिहा किया गया । अप्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी को व उसके पुत्र संतोष कुमार उर्फ कमल को प्रतिदिन रात्री के समय 10–11 बजे बाद जब सब अपने अपने कमरो में सो जाते है निरन्तर गाली गलौच कर लडाई झगडा करने व मकान खाली करके चले जाने तथा घर से निकाल दिये जाने की धमकियां दी जा रही है जिससे अपीलार्थी का जीना दुश्वार हो गया है। अपीलार्थी/प्रार्थीया की सम्पत्ति/मकान से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा उनके परिजन को बेदखल करने के आदेश प्रदान करे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधिनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मयाद अधिनियम/अपील प्रस्तुत किया गया। उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

रेस्पोडेन्ट्स ने अपीलान्ट की अपील मयाद बाहर होने तथा प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के कथन झूठे होना बताते हुये अपील को मयाद बिन्दु पर ही खारिज किये जाने का निवेदन किया। जवाब में अपीलान्ट ने अनुरोध किया कि अपीलान्ट वयोवृद्ध होकर अनेक व्याधियों से पीडित है। अपीलान्ट अनपढ है न्यायिक प्रकिया की जानकारी नही है। अपील प्रस्तुति में देरी हुई है। परिस्थितियों वश प्रस्तुति में हुई देरी को न्यायहित में कन्डोन किया जावे तथा प्रार्थना पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम स्वीकार कर अपील को गुणावगुण के आधार पर निर्णित फरमाई जावे। अपीलान्ट के मयाद बिन्दु बाबत् कथनो पर मनन किया न्यायहित में प्रा0 पत्र धारा 5 मयाद अधि0 स्वीकार कर अपील मयाद में शुमार करते हुऐ गुणावगुण के आधार पर निस्तारित करने का निश्चय किया गया। उभय पक्ष की बहस अपील सुनी गई।

अपीलार्थी ने अपील कथनो को दौहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलार्थी 71 वर्षीय वृद्ध वरिष्ठ नागरिक, है। अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व एक प्रार्थना पत्र दिनांक 01.11.2021 को जिला कलक्टर अजमेर के जनसुनवाई अजमेर के समक्ष वास्ते वृद्ध प्रार्थीया को

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

पुत्र राजेन्द्र व पुत्रवधू आरती के अत्याचारो से मुक्ति दिलाने व प्रार्थीया की सम्पत्ति/मकान को खाली करवाने बाबत प्रस्तुत किया था । जिसमें भरण पोषण अधिनियम के तहत प्रकरण को दर्ज किये जाने के आदेश दिये उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया था । जिसमें अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये । जिस पर अप्रार्थी राजेन्द्र कुमार ने अपना जवाब पेश किया । तत्पश्चात आदेश पारित किए गए । उक्त आदेश के बाद कुछ समय तक तो रेस्पोडेन्ट द्वारा शांति बनाये रखी । किन्तु कुछ समय बाद रेस्पोडेन्ट प्रार्थीया से उसका मकान अपने नाम करवाने के लिए अपीलार्थी को पुनः परेशान करना व लडाई झगडा करना प्रारम्भ कर दिया गया । जिस पर अपीलार्थी ने रेस्पोडेन्ट के विरूद्व दिनांक 11.09.2022 को एक प्रार्थना पत्र पुलिस थाना अलवरगेट के के समक्ष वृद्व प्रार्थीया को पुत्र राजेन्द्र व पुत्रवधू आरती के अत्याचारो से मुक्ति दिलाने व प्रार्थीया की सम्पत्ति/मकान को खाली करवाने बाबत प्रस्तुत किया गया जिस पर पुलिस थाना अलवरगेट द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई और ना ही अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया । मजबूर होकर अपीलार्थी ने दिनांक 13.09.2022 को पुलिस अधीक्षक अजमेर के यहां पर अपने बडे पुत्र संतोश कुमार को साथ ले जाकर एक प्रार्थना वृद्व प्रार्थीया को पुत्र राजेन्द्र व पुत्रवधू आरती के अत्याचारो से मुक्ति दिलाने व प्रार्थीया की सम्पत्ति/मकान को खाली करवाने बाबत प्रस्तुत किया । जिस पर पुलिस थाना अलवरगेट द्वारा कोई कानूनी कार्यवाही नही की गई और ना ही अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया । पुलिस वो द्वारा अपीलार्थी के उक्त आवेदनो पर कोई कार्यवाही नही की गई तो अपीलार्थी ने मजबूर होकर एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अजमेर के समक्ष भरण पोषण राशि दिलाने व प्रार्थीया का मकान खाली करवाने बाबत प्रस्तुत किया जिस पर दिनांक 16.11.2022 को अप्रार्थीगण को निर्णय की पालना हेतु पाबन्द किया गया । दिनांक 06.01.2022 को पारित किये गये आदेश मे अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 को केवल मात्र शाति बनाये रखने के लिए पावन्द किया जाकर छोड दिया गया । उक्त आदेश होने के बावजूद अप्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी से उसके मकान को अपने नाम पर करवाये जाने के लिए आये दिन झगडे आदि किये जाते रहे । इतना ही नही अपीलार्थी/प्रार्थीया को प्राप्त होने वाले राशन के गेहू ले लिये जाते, और अपीलार्थी को समय पर खाना तक बना कर नही दिया जाता है। अप्रार्थीगण ने अपीलार्थी/प्रार्थीया व प्रार्थीया के बडे पुत्र संतोष कुमार उर्फ कमल के विरूद्व पुलिस थाना महिला अजमेर में दहेज प्रताडना की एक झूंठी लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें अप्रार्थीगण ने अपनी पुत्र संजना से पुलिस थानाधिकारी के समक्ष झूंठे बयान दिलवाये जाकर प्रार्थीया के बडे पुत्र संतोष कुमार उर्फ कमल पर पोक्सो एक्ट के तहत नग्न होकर घूमने व अश्लीलता करने के आरोप लगाये जिस कारण उसे पुलिस थाना महिला अजमेर द्वारा गिरफतार किया गया और उसे दिनांक 29.11.2022 को न्यायालय में पेश किया जहॉ जमानत पर रिहा किया गया । अप्रार्थीगण द्वारा अपीलार्थी को व उसके पुत्र संतोष कुमार उर्फ कमल को प्रतिदिन रात्री के समय 10–11 बजे बाद जब सब अपने अपने कमरो में सो जाते है निरन्तर गाली गलौच कर लडाई झगडा करने व मकान खाली करके चले जाने तथा घर से निकाल दिये जाने की धमकियां दी जा रही है जिससे अपीलार्थी का जीना दुश्वार हो गया है। अपीलार्थी/प्रार्थीया की सम्पत्ति/मकान से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 तथा उनके परिजन को बेदखल करने के आदेश प्रदान करे ।

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, अजमेर

जवाब में रेस्पोडेन्टस ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 गैराज में पेंटर का कार्य करता है जिससे 300 रूपये प्रतिदिन आय प्राप्त करता है इसके अलावा अप्रार्थी संख्या 1 पर अपने व अपने परिवार के भरण पोषण की भी जिम्मेदारी है। फिर भी अप्रार्थीगण जो भी आय अर्जित होती है उससे अपना व प्रार्थीया का भरण पोषण करते है। प्रार्थीया ने अपने बडे पुत्र जो कि सम्पत्ति को हडप करने के लिए येन केन प्रकरण अप्रार्थीगण को सम्पत्ति से बेदखन करना चाहता है के बहकावे में आकर झूठे तथ्यो के आधार पर अपील प्रस्तुत कि गई है । अप्रार्थीगण को पाबन्द करने से पूर्व ही प्रार्थीया का भरण पोषण करते आ रहे थे तथा वर्तमान में भी अपने स्वयं के साथ प्रार्थीया का भी भरण पोषण करते है प्रार्थीया ने मात्र अपने बडे बेट के बहकावे में आकर झूठे आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थीयॉ का बडा पुत्र प्रार्थीया को बरगला कर अप्रार्थीगण को मात्र सम्पत्ति से निष्कासित करवाने व सम्पत्ति को हडप करने के दुराशय से झूठे आधारो पर प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थीया की अपील मान0 न्यायालय के समक्ष रेस्पोडेन्टस को हैरान परेशान करने एवं न्यायालय का किमती समय खराब करने योग्य बेबुनियाद झूठी एवं विधि विरूद्ध अनुतोष के प्रस्तुत अपील सव्यय खारिज फरमाई जावें।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्टस, अपीलान्ट के पुत्र–पुत्रवधु, है। अपीलान्ट द्वारा अपील में रेस्पोडेन्ट द्वारा लडाई झगडा व हेरान परेशान करने बाबत प्रस्तुत किया गया। दोराने सुनवाई में भी अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट द्वारा लडाई झगडा करने को कथन किया गया है। अपीलान्ट/प्रार्थिया द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष भरण पोषण हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था जिस बाबत रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थीगण को अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से नोटिस जारी किए गए जिस बाबत रेस्पोडेन्ट/अप्रार्थी 1 ने स्वयं उपस्थित होकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया कि हमारे आपसी घरेलू झगडे से उक्त प्रकरण प्रस्तुत हुआ है तथा हमारे बीच आपसी समझाईश से उक्त मामले को सुलझा लिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त दस्तावेज का अवलोकन के पश्चात विधिवत तौर से उनके समक्ष लंम्बित प्रकरण संख्या 29/2021 का दिनांक 06.01.2022 का निस्तारण किया है जो कि विधि सम्वत प्रतित होता है रेस्पोडेन्ट्स द्वारा हमारे समक्ष व्यक्त कथनों, तथ्यों एवं उनकी पारिवारिक परिस्थतियों पर समस्त दृष्टिकोण से विवेचन उपरान्त अधिनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.1.2022 न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। न्यायालय भरण पोषण न्यायाधिकरण (अजमेर) आदेश दिनांक 06.01.2022 की पालना सुनिश्चित करे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 24.8.2016 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अंश दीप)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर